न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-II, हमीरपुर

Session case no- 778/2020

राज्य प्रति सबल सिंह

धारा- 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट
थाना- ललपुरा, जिला हमीरपुर
अ0 सं0- 119/2020

आरोप

मैं, सुनीता शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-II, हमीरपुर आप अभियुक्त **सबल सिंह** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ-

यह कि दिनांक 01.10.2020 को समय 15:30 बजे स्थान हनुमान जी के मन्दिर के मोड के पास बृहद ग्राम नदेहरा थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर में पुलिस द्वारा आपके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज रूप से बरामद किया गया, जिसको रखने का आपके पास कोई प्रपत्र नहीं था। अतः आपका यह कृत्य धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट (स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतद द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांकः-18-08-2021

(सुनीता शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-II,
हमीरपुर

आरोप, अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की ।

दिनांकः-18-08-2021

(सुनीता शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-II,
हमीरपुर